प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय-जिला कारागार, आगरा के विचाराधीन बंदी मोहित भारद्वाज पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र शर्मा की दिनांक 01-10-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-35220/24/1/2012-जेसीडी, दिनांक 23-06-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी को रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुति दिनांक 23-06-2016 के अनुपालन में मृतक बंदी के उत्तराधिकारी/आश्रितगण को मुआवजा के रूप में रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-2017 में शासनादेश पत्र संख्या-01/2016/1188जे0/22-5-16-259एचआरसी/2012 दिनांक 04-10-2016 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में जेल अधीक्षक, जिला कारागार आगरा के पत्र संख्या-1967/लेखा/ बजट/2017, दिनांक 20-07-2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मृतक बंदी के परिजनों/आश्रितों की चिन्हांकन आख्या प्राप्त न होने एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण पूर्व स्वीकृत धनराशि समर्पित की जा चुकी है। महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-18125/मा0अनु0(1)/270-2012, दिनांक 01-06-2017 द्वारा पुन: वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, जिला कारागार, आगरा के विचाराधीन बंदी मोहित भारद्वाज पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र शर्मा की दिनांक 01-10-2012 को हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-35220/24/1/2012-जेसीडी, दिनांक 23-06-2016 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी मोहित भारद्वाज पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र शर्मा के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अन्तरिम राहत के रूप में रू0 1,00,000/-(रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2017-2018 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-2018 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 23-06-2016 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या:75/2017/1902जे0(1)/22-5-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (लॉ), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा/अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ रक्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, आगरा।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

8- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।